Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 20-02-2006

Participants : Tirath Smt. Krishna

>

Title : Need to ensure employment in respect of cases considered under compassionate grounds.

श्रीमती कृणा तीरथ (करोल बाग) : महोदय, अनुकम्पा के आधार पर शतप्रतिशत रोजगार देने को सुनिश्चित करने के विाय को गहराई से सोचना चाहिए और उस व्यक्ति को जो उसके परिवार का व्यक्ति नौकरी पर था और उसी समय में उसकी मृत्यु हो गयी हो तो उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी अवश्य देनी चाहिए। यदि उस समय उस बच्चे की आयु कम हो तो आयु पूरी होने के बाद उसे नौकरी पर अवश्य रखना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं करने से सभी सरकारी विभागों में मनमर्जी से चयन किया जाता है और उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है जिससे भ्रटाचार को बढ़ावा मिलता है और जिसको वास्तव में रोजगार की आवश्यकता है, उसे रोजगार नहीं मिलता है। यदि किसी महिला के पति की सर्विस के दौरान मृत्यु हुई है तो उस महिला को या उसके एक बच्चे को रोजगार अवश्य देना चाहिए, जिससे उसके घर का गुजारा चल सके और सरकारी नौकरियों में भी जो कमी आ रही है वह पूरी रह सके क्योंकि नयी सरकारी भर्ती है तो उन स्थानों की रिक्तता से सरकारी कार्यो में परेशानी आती है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या पहले ही कम हो गयी है तथा जनसंख्या पहले से पांच गुणा अधिक हो गयी है। इसलिए ऐसे दफ्तरों में जहां पब्लिक डीलिंग है आम आदमी को परेशानी होती है क्योंकि काम के लिए दफ्तर में कर्मचारी कम हैं और काम अधिक है। इससे आम जनता के कार्य समय से नहीं हो पाते हैं।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करती हूं कि वह अनुकम्पा के आधार पर नौकरी हेतु उचित एवं ठोस कदम उठाये।